न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश चारैल आरएएस

प्रकरण सं0 : 187/2019

अभिलाष :

1. पालाराम पुत्र जुगलाल जाति जाट निवासी किराड़ा छोटा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र जुगलाल निवासी किराड़ा छोटा जाट निवासी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं दुरूस्ती रिकार्ड अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री राजेन्द्र गोयल : वादी
वकील श्री नवीन गोयल : प्रतिवादी सं0 1

निर्णय दिनांक : 19-3-2020

संक्षेप में दावा के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा किराडा छोटा के खाता सं0 16/12 के खसरा सं0 141 की 2.605 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है तथा इसी प्रकार रोही मोजा किराड़ा छोटा के खाता सं0 17/13 के खसरा सं0 52 की 5.135 है0 खसरा सं0 53 की 3.832 है0, खसरा सं0 58 की 2.314 है0, खसरा सं0 155 की 3.50 है0, खसरा सं0 156 की 1.063 है0, खसरा सं0 169 की 2.314 है0 खसरा सं0 287 की 1.619 है0, खसरा सं0 288 की 1.366 है0 कुल 21.146 है0 बारानी जिसमें वादी का 1/8 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही मौजा जिगासरी बड़ी के खाता सं0 35/36 के खसरा सं0 70 की 2.529 है0 खसरा सं0 212 की 6.488 है0, खसरा सं0 228 की 2.340 है0, खसरा सं0 233 की 4.818 है0, खसरा सं0 238 की 5.021 है0 खसरा सं0 276 की 2.112 है0, कुल 26.331 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश व वादी का 3/7 वहिस्सा बराबर दर्ज है।

वाद कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम पालाराम के स्थान पर धर्मपाल दर्ज है जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम पालाराम पुत्र जुगलाल है जो कि वादी का सही एवं वास्तविक नाम पालाराम पुत्र जुगलाल है जो कि वादी के राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड व अंक तालिका के सभी दस्तावेजों में वादी का नाम पालाराम की दर्ज है वादी को बचपन में वास्तविक नाम पालाराम के साथ साथ धर्मपाल के नाम से भी पुकारा जाता था तथा वादी के पिता जुगलाल की मृत्यु होने के कारण उसके विरासत इंतकाल दर्ज करते समय उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में पालाराम के बजाए धर्मपाल दर्ज हो गया जिससे वादी की उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वास्तविक नाम पालाराम दर्ज नहीं होने से वादी के अधिकारों पर विप[illegible] पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को उनके जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने पर उपस्थित वकील प्रतिवादी सं0 1 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं0 2 को वकील वादी ने तर्क किया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:14:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

साक्ष्य वादी में पीडब्लयु 1 पालाराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य मे प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम किराड़ा छोटा प्रदर्श 1, 2, जमाबन्दी ग्राम जिगासरी इसी प्रदर्श 3 व प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तकरण ग्राम किराड़ा छोटा 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादी का सही एवं वास्तविक नाम पालाराम पुत्र जुगलाल है वादी के राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड व अंक तालिका के सभी दस्तावेजों में वादी का नाम पालाराम की दर्ज है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने ग्राम किराड़ा छोटा व जिगासरी बड़ी के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त किये जाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में अंकित किया है कि वादी के पिता जुगलाल की मृत्यु होने के कारण उसके विरासत तत्काल दर्ज करते समय दावाधीन भूमि के राजस्व रिकार्ड में पालाराम के बजाए धर्मपाल दर्ज हो गया जिसकी पुष्टि में वादी ने प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तकरण ग्राम किराड़ा छोटा प्रदर्शित करवाई है जिससे स्पष्ट है कि जुगलाल की फौतगी के बाद कृषि भूमि जुगलाल के वारिसान के नाम दर्ज हुई है जिसमें कॉलम नं0 9 में वादी धर्मपाल को भी जुगलाल के वारिसन में दर्शाया गया है तथा प्रतिवादी सं0 1 ने राजीनामा में दावा के तथ्यों को स्वीकार किया है व वादी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज यथा चित्रप्रति आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड में वादी का नाम पालाराम पुत्र जुगलाल अंकित है। इस प्रकार वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा किराडा छोटा के खाता सं0 16/12 के खसरा सं0 141 की 2.605 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है तथा इसी प्रकार रोही मोजा किराड़ा छोटा के खाता सं0 17/13 के खसरा सं0 52 की 5.135 है0 खसरा सं0 53 की 3.832 है0, खसरा सं0 58 की 2.314 है0, खसरा सं0 155 की 3.50 है0, खसरा सं0 156 की 1.063 है0, खसरा सं0 169 की 2.314 है0 खसरा सं0 287 की 1.619 है0, खसरा सं0 288 की 1.366 है0 कुल 21.146 है0 बारानी जिसमें वादी का 1/8 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही मौजा जिगासरी बड़ी के खाता सं0 35/36 के खसरा सं0 70 की 2.529 है0 खसरा सं0 212 की 6.488 है0, खसरा सं0 228 की 2.340 है0, खसरा सं0 233 की 4.818 है0, खसरा सं0 238 की 5.021 है0 खसरा सं0 276 की 2.112 है0, कुल 26.331 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश व वादी का 3/7 बहिस्सा बराबर दर्ज है उक्त तीनों खातों में वादी का नाम धर्मपाल के स्थान पर पालाराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12-3-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:44:20 IST
Reason: SelfAttested

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 187/2019

अभिधान :

1. पालाराम पुत्र जुगलाल जाति जाट निवासी किराड़ा छोटा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र जुगलाल निवासी किराड़ा छोटा जाट निवासी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेन्द्र गोयल एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 श्री नवीन गोयल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा किराडा छोटा के खाता सं0 16/12 के खसरा सं0 141 की 2.605 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है तथा इसी प्रकार रोही मोजा किराड़ा छोटा के खाता सं0 17/13 के खसरा सं0 52 की 5.135 है0 खसरा सं0 53 की 3.832 है0, खसरा सं0 58 की 2.314 है0, खसरा सं0 155 की 3.50 है0, खसरा सं0 156 की 1.063 है0, खसरा सं0 169 की 2.314 है0 खसरा सं0 287 की 1.619 है0, खसरा सं0 288 की 1.366 है0 कुल 21.146 है0 बारानी जिसमें वादी का 1/8 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही मौजा जिगासरी बड़ी के खाता सं0 35/36 के खसरा सं0 70 की 2.529 है0 खसरा सं0 212 की 6.488 है0, खसरा सं0 228 की 2.340 है0, खसरा सं0 233 की 4.818 है0, खसरा सं0 238 की 5.021 है0 खसरा सं0 276 की 2.112 है0, कुल 26.331 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश व वादी का 3/7 बहिस्सा बराबर दर्ज है उक्त तीनों खातों में वादी का नाम धर्मपाल के स्थान पर पालाराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12-3-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
भादरा
R.A.S.

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:14:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner